

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
SEEPZ Special Economic Zone Authority  
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

Office Order NO. 05 Dated 18/11/2024

Sub: Examination/ Scrutiny of Applications for provisional Allotment in Govt. leased premises to the Entrepreneurs-Reg.


In order to scrutinize/examine applications received in response to the advertisements floated by SEEPZ Authority on website/newspapers for provisional allotment of space in the Govt leased premises i.e. in SDFs/G&J Buildings/ NESTs in SEEPZ SEZ, based on the parameters mentioned therein, a Committee is hereby constituted comprising of the following officers/Officials:-

JDC, SEEPZ/Secretary, SEEPZ Authority	-	Chairperson
Estate Officer	-	Member Secretary
ADC/Estate	-	Member
ADC/Vigilance	-	Member
PAO	-	Member
ADC/ Legal, SEEPZ-SEZ	-	Member
UDC/Assistant, Estate	-	Member
UDC/Assistant, Estate Finance	-	Member

The said committee will examine all the aspects pertaining to provisional allotment and submit its report before Development Commissioner. The above committee shall remain in existence for such assignments till further orders.

At least 50% members will be mandatory for quorum of any meeting. The presence of Chairperson shall be mandatory in all meetings.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ SEZ.

  
(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)  
संपदा अधिकारी  
सीपज़ - सेज़

NO.: SEEPZ-SEZ:Estate:COC:37:2019-20/12895

18 November, 2024

To:

1. All Members of the Committee
2. Office order file
3. Office Order Register
4. DCO & JDCO, SEEPZ-SEZ



वेबसाइट: [www.seepz.gov.in](http://www.seepz.gov.in) | ई-मेल: [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in) | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

कार्यालय आदेश सं. 05 दिनांक 18/11/2024

विषय: सरकार में अनंतिम आवंटन के लिए आवेदनों की जांच/जांचा पट्टे पर उद्यमियों के लिए परिसर-रजि.

सरकारी पट्टे वाले परिसर में स्थान के अनंतिम आवंटन के लिए वेबसाइट/समाचार पत्रों पर SEEPZ प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञापनों के जवाब में प्राप्त आवेदनों की जांच/जांच करने के लिए यानी सीपज़ एसईजेड में एसडीएफ/जीएंडजे बिल्डिंग/एनईएसटी में, उसमें उल्लिखित मापदंडों के आधार पर, निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाता है: -

जेडीसी, सीपज़/सचिव, सीपज़ प्राधिकरण	अध्यक्ष
संपदा अधिकारी	सदस्य सचिव
एडीसी/एस्टेट	सदस्य
एडीसी/सतर्कता	सदस्य
पीएओ	सदस्य
एडीसी/कानूनी, सीपज़	सदस्य
यूडीसी/सहायक, एस्टेट	सदस्य
यूडीसी/सहायक, संपदा वित्त	सदस्य

उक्त समिति अनंतिम आवंटन से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करेगी और विकास आयुक्त के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति अगले आदेश तक ऐसे कार्यों के लिए अस्तित्व में रहेगी।

किसी भी बैठक के कोरम के लिए कम से कम 50% सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। सभी बैठकों में अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-एसईजेड के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Sd/-  
(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)

संपदा अधिकारी  
सीपज़ - सेज़

NO.: SEEPZ-SEZ:Estate:COC:37:2019-20: 12895

18 November, 2024

सेवा में:

1. समिति के सभी सदस्य
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल / कार्यालय आदेश रजिस्टर
4. डीसीओ एवं जेडीसीओ, सीपज़-एसईजेड